दुग्ध उत्पादकों को नियमित पैसा

विस अध्यक्ष तोमर से मिले एमपीसीडीएफ के प्रबंध संचालक

भोपाल, 15 जुलाई. एमपी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (एमपीसीडीएफ) भोपाल के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोवाणी ने मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंटकर डेयरी विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों का प्रबंधन एवं संचालन हाथ में लेने के बाद अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधानसभा को एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध दुग्ध संघों की योजनाओं और प्रगति से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि दुग्ध संघों द्वारा दूध खरीद मूल्यों में वृद्धि की गई. दुग्ध उत्पादकों को दूध मूल्य का भुगतान महीने की 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख को निर्धारित किया गया. सांची ब्राण्ड की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए ग्वालियर तथा जबलपुर दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादकों की लंबित राशियों का भुगतान किया गया. इसके परिणाम स्वरूप ग्वालियर दुग्ध संघ और जबलपुर दुग्ध संघ का दुग्ध संकलन बढा है. अब तक 628 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया जिनके माध्यम से लगभग 15000 दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी प्रणाली से जोड़ा गया.

एमपीसीडीएफ तथा सहकारी दुग्ध संघों की गतिविधियों के एंड टू एंड डिजीटाईजेशन की ओर कदम बढ़ाते हुए दुग्ध संघों में ईआरपी क्रियान्वयन किया जा रहा है. इससे रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. दुग्ध संकलन के लिए इंदौर दुग्ध संघ से मोबाइल एप प्रारंभ किया गया है.

चार विस अध्यक्षों ने महाकालेश्वर भगवान के किए दर्शन

उज्जैन. भारत की चार विधानसभा के अध्यक्षो द्वारा श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किये. जिसमें सिक्किम के मिंगम नोरबू, ओडिसा से सुरमा पध्ये, हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह पठानिया व राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व उनके प्रतिनिधि सम्मिलित थे. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक शिवकांत पांडेय व आशीष दुबे द्वारा सभी अध्यक्ष का स्वागत व सत्कार किया.

सड़क बनाने में तकनीकी का रखें ध्यान

▶ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने किया पंच-सरपंच से संवाद

भोपाल, 15 जुलाई. पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार बड़वानी जिले के सेंधवा में स्थित लाइन्स कान्वेंट स्कूल के मीटिंग हॉल में पंच सरपंच संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के पंच एवं सरपंचों से संवाद किया.

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा पंचायती राज व्यवस्था न केवल ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाती है. यह स्थानीय स्तर पर शासन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और समाज के कमजोर वर्गों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करता है. पंचायती राज का महत्व देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण है. मंत्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण विकास के अपने पैमाने हैं. पीएम ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तरों तक सड़क पहुंच सुनिश्चित करना है.

पंचायतों में सामुदायिकता का भाव होना चाहिए

मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायतों में सामुदायिकता का भाव होना चाहिए और पंचायतों के लिए पाँच वर्ष के लिए कौन-से कार्य करना है यह सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि तालाब, सड़क, बांध बनाने के लिए तकनीकी को ध्यान में रखकर बनाया जाए. पंचायतों में बेहतर रिकॉर्ड रखने का कार्य दूसरी संस्था नहीं कर सकती है. मंत्री पटेल ने कहा कि नये पंचायत भवन 3 मंजिला बनाये जा रहे हैं, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाया जाएगा. हर पंचायत के हैंडपंप का ऑडिट हो रहा है जहां भी हैंडपंप सूख गए हैं उसे हटाकर उनके स्थान पर रिचार्ज पिट का निर्माण किया जाएगा. स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक बगिया माँ के नाम परियोजना शुरू की जा रही है.

मरीज की मौत पर परिजनों का डॉक्टरों पर आरोप

रीवा, 15 जुलाई. रीवा में संजय गांधी अस्पताल में मंगलवार को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने मुख्य द्वार पर धरना देकर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया. आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ.

जानकारी के अनुसार, सीधी जिले के चुरहट के बडखरा निवासी राज लाल यादव (25) को एक सप्ताह पहले बुखार की शिकायत पर भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि स्थिति में सुधार की बजाय मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई. डॉक्टर कभी मस्तिष्क में तो कभी किडनी, लीवर और गुर्दे में समस्या बताते रहे. मृतक के चाचा राम विसर्जन यादव ने आरोप लगाया कि मरीज का उचित इलाज नहीं किया गया. ट्रेनी और जूनियर डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया, जिससे उनकी जान चली गई. हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही के आरोपों को निराधार बताया है. सीएमओ डा0 अलख प्रकाश ने बताया मरीज को मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम थी और डायलिसिस किया जा रहा था.

सीधे प्रवेश के लिए अतिरिक्त सीएलसी प्रक्रिया शुरू

पिपलियामण्डी. राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में खाली सीटों पर सीधे प्रवेश के लिए अतिरिक्त सीएलसी चरण शुरू कर दिया है. पिपलियामंडी महाविद्यालय में यह प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है. कॉलेज प्राचार्य डॉ. आर.के. श्रीवास्तव ने बताया कि कला, वाणिज्य और विज्ञान संकायों में सीटें खाली हैं. इच्छुक विद्यार्थी हर दिन दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कर विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद दस्तावेज़ों का सत्यापन होगा. शाम 5 बजे से अगले 24 घंटे तक फीस जमा करने की सुविधा रहेगी. तय समय में फीस जमा नहीं करने पर अगले दिन फिर से विकल्प चुनना होगा.

दो किमी तक रेंगते रहे वाहन

शहर के बाहरी क्षेत्र में यातायात अव्यवस्था ने बढ़ा दीं मुश्किलें

इंदौर, 16 जुलाई. बाईपास से मांगलिया की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग मंगलवार रात फिर महाजाम की भेंट चढ़ गया. हालात ऐसे रहे कि वाहन दो किलोमीटर लंबी कतार में फंसे रहे. लोगों ने जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि क्या अब और मौतों का इंतजार है? आसपास के रहवासी बोले कि अब और कितनी जानें लोगे सरकार. शहर के बाहरी क्षेत्र में यातायात अव्यवस्था ने एक बार फिर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

बायपास से मांगलिया की ओर जाने वाले व्यास खेड़ी रोड पर मंगलवार को दो घंटे तक लम्बा जाम लग गया. जाम इतना भीषण था कि करीब दो किलोमीटर तक वाहन रेंगते रहे. सबसे बड़ा सवाल यह कि यह सब देखकर भी जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी हैं.

स्थानीय रहवासी हंसराज मंडलोई ने नव भारत को बताया कि इस जाम की सबसे बड़ी वजह वह अवैध बैरियर हैं जिसे टोल कंपनी द्वारा सड़क पर खड़ा कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बैरियर अवैध रूप से लगाया गया है.

> उनका कहना है कि इस अवैध व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही के चलते अब तक कम से कम पांच लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी न तो ट्रैफिक को लेकर कोई ठोस इंतजाम किए गए और न ही वसूली करने वालों पर कोई कार्रवाई हुई. क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है और वे पूछ रहे हैं अब और कितनी जानें जाएंगी तब जाकर प्रशासन जागेगा, उनका यह भी कहना है कि यह जाम कोई पहली बार नहीं लगा, पर आज हालात बदतर हो गए.

अपने अधिकार को जानें छात्र

▶ यह प्रशिक्षण 16 जून से प्रारंभ हुआ था, 15 जुलाई को हुआ समापन

भोपाल. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रतिवर्ष संचालित होने वाले विधि संकाय के विद्यार्थियों के लिये एक माह की इंटर्नशिप मंगलवार को सम्पन्न हुई. यह प्रशिक्षण 16 जून से प्रारंभ हुआ था. इंटर्नशिप में देश के प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विधि संकाय के विद्यार्थियों को मानव अधिकार एवं आयोग की कार्य-प्रणाली सहित विभिन्न विषयों पर रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया. इंटर्नशिप में मुख्य रूप से महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर, कॅरियर कॉलेज ऑफ लॉ भोपाल, रेनेसां लॉ कॉलेज इंदौर, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भोपाल, के.सी. कॉलेज मुम्बई, ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद प्रयाग, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भोपाल, पीआईएमआर डीएवीवी इंदौर, बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, गवर्मेंट पीजी स्टेट लॉ कॉलेज भोपाल और भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के विद्यार्थियों ने भाग लिया. मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव कुमार टंडन ने कहा कि सभी विद्यार्थियों ने पूर्ण लगन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो सराहनीय है.

सीएम डॉ. यादव के ससुर ब्रह्मादीन का निधन

98 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया, रीवा में होगा अंतिम संस्कार

सुल्तानपुर, 15 जुलाई. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ससुर और सामाजिक कार्यकर्ता ब्रह्मादीन यादव का मंगलवार रात निधन हो गया. 98 वर्षीय ब्रह्मादीन यादव ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्थित विवेकानंद नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से मध्यप्रदेश के रीवा ले जाया जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा.

27 जून की रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. उन्हें सांस और पेट से जुड़ी समस्याओं के चलते राजकीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. 28 जून को बेटी सीमा यादव, जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, अपनी बेटी के साथ पिता को देखने सुल्तानपुर पहुंची थीं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मध्यप्रदेश लौट गईं. स्वास्थ्य में सुधार के बाद 30 जून को ब्रह्मादीन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन मंगलवार रात उनकी हालत फिर से बिगड़ गई. परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसी दौरान उनका निधन हो गया.

> ब्रह्मादीन यादव एक लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे. उन्होंने अपने छात्र जीवन में कई आंदोलनों में भाग लिया. पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ना पड़ा और वे मुंबई चले गए. मूल नाम ब्रह्मानंद था, लेकिन आंदोलन के दौरान पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर ब्रह्मादीन रख लिया. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले की भीटी तहसील के कोडड़ा डड़वा गांव में हुआ था. बाद में वे पढ़ाई के लिए मुंबई गए और फिर वापस उत्तर प्रदेश लौटे. नौकरी की तलाश उन्हें मध्यप्रदेश के रीवा ले गई,

रज्जाक के भाई की दो दिन और बढ़ी रिमांड

जबलपुर. भोपाल जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लिया जिनसे लंबी पूछताछ हुई. मंगलवार को रिमांड खत्म होने पर आरोपियों को ओमती पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से रज्जाक के भाई की दो दिन की और रिमांड पर कोर्ट ने पुलिस को सौंप दिया जबकि बेटा और भतीजे समेत गुर्गे को जेल भेज दिया गया है. ओमती थाने में दर्ज धोखाधड़ी, धमकाने, अवैध हथियार समेत अन्य प्रकरणों में फरार सरफराज पिता अब्दुल रज्जाक 45 वर्ष निवासी रिपटा नया मोहल्ला, मोह. महमूद पिता अब्दुल वहीद 53 वर्ष निवासी रिपटा है.

हत्या करने के इरादे से युवक को चाकू से गोदा

जबलपुर, 15 जुलाई. हनुमानताल थाना अंतर्गत भानतलैया प्रेमसागर के पास बदमाश ने हत्या करने के इरादे से एक युवक को चाकू से गोद दिया. हमले में घायल को उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल रेफर कर दिया गया.

पुलिस हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस के मुताबिक निसार खान 33 वर्ष भानतलैया गेट के पास हनुमानताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर के सामने ठेले में लेटा था उसका भाई राजा और मौसेरा भाई नईम भी वहीं पर टहल रहे थे.

> सुबह लगभग 4-30 बजे उसके परिचित का वकील ई रिक्शा लेकर आया और उससे घूमने के लिये चलने के लिये बोला तो वह वकील के ई रिक्शा में बैठ गया. वकील ई रिक्शा चलाते हुये उससे पूर्व में हुये विवाद को लेकर विवाद करने लगा एवं भानतलैया प्रेमसागर मोड में ई रिक्शा रोका और जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया. वह बचने के लिये पीछे हटा तो चाकू गाल में लगा वह चिल्लाया तो उसका भाई राजा और नईम को आते देख जान से मारने की धमकी देते हुये ई रिक्शा से भाग गया.

आवारा श्वानों का बढ़ रहा आतंक, कर रहे हमले

इंदौर. शहर में आवारा श्वनों की का आतंक बढ़ता जा रहा है. निगम प्रशासन भी इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा है. लापरवाही के चलते आमजन पर श्वानों के हमले भी बढ़ रहे हैं. कई बार तो जान पर भी बन आती है. स्मार्ट सिटी के तहत आवारा पशुओं पर ऐसी नकेल कसी गई की आज सड़कों और क्षेत्रों में आवारा पशु दिखाई नहीं देते है लेकिन आवारा श्वानों की लगातार तादाद बढ़ती जा रही है. शहर के हर क्षेत्र, कॉलोनी, बस्ती में आवारा श्वानों की टोली दिखाई देती है. सवाल तो यह उठता है कि योजना होने के बावजूद संख्या नियंत्रित नहीं हो रही है.

हत्या के आरोपी को कारावास

सौतेले पुत्र ने की थी पिता की हत्या

जबलपुर. पाटन अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश शुक्ल की अदालत ने पिता की हत्या करने वाले सौतेले पुत्र जित्तू उर्फ जितेन्द्र राय को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा. जिन्होंने अदालत को बताया कि फरियादी सुमताबाई ने 28 नवंबर 2022 को बेलखेड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करायी. जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी जित्तू उर्फ जितेन्द्र ने उसके पति विश्वनाथ की हत्या कर दी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसका पति विश्वनाथ अपनी दूसरी पत्नी राजकुमारी राय के साथ रहता था, जो कि पिछले आठ सालों से बगीचा मोहल्ला बेलखेड़ा में एक साथ रह रहे थे.

> 27 नवंबर 2022 को उसका पति आया और शाम करीब 7 बजे यह कहकर चला गया कि अगले दिन सुबह फिर आऊंगा. उसके दूसरे दिन 28 नवंबर 2022 को जब उसका पति नहीं आया तो वह बगीचा मोहल्ले में राजकुमारी के घर गई, जहां उसने देखा कि राजकुमारी पूजा कर रही थी और आरोपी पैसे की मांग कर मृतक से झगड़ा कर रहा था. जब उसका पति विश्वनाथ नहाने गया तो आरोपी ने बाथरूम में उसका पीछा किया और मृतक के सिर पर लोहे की रॉड से तब तक वार किया जब तक वह गिर नहीं गया. आरोपी रॉड समेत वहां से भाग गया.

पंद्रह जिलों के कलेक्टरों पर लगाई जाए पेनाल्टी

▶ एनजीटी की याचिका पर सुनवाई पर दिए निर्देश

जबलपुर, 15 जुलाई. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दायर एक याचिका में नर्मदा किनारे बसे पंद्रह जिलों के कलेक्टरों पर पेनाल्टी लगाये जाने की मांग की गई है. जिसमें कहा है कि पूर्व में एनजीटी ने अवमानना मामले में नर्मदा किनारे के अतिक्रमणों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये थे, लेकिन तीन साल बाद भी उसका पालन नहीं हुआ.

नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से एनजीटी में यह मिस्लेनियस याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि पूर्व में उन्होंने एनजीटी के समक्ष अवमानना याचिका दायर की थी. जिस पर एनजीटी ने निर्देशित किया था कि जिन जिलों के क्षेत्रों में नर्मदा बहती है उन जिलों के कलेक्टर्स तीन माह के भीतर नर्मदा के किनारों से अतिक्रमण हटायें. सभी कलेक्टर्स तीन माह के भीतर नर्मदा तटों के बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन कर, उन्हें अतिक्रमण मुक्त करे. इसके साथ ही मुख्य सचिव नर्मदा के प्रदूषण को नियंत्रित करने एक्शन प्लान बनायें. सभी कलेक्टर्स प्रदेश में निर्मित सभी वाटर बॉडीज झील, तालाब आदि का सीमांकन कर वहां से अतिक्रमण हटाये. उक्त निर्देश 23 सितंबर 2021 को जारी किये गये थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसका पालन नहीं हुआ, जिस पर यह याचिका दायर की गई है.

याचिकाकर्ता श्री पांडे ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जबलपुर, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, अनूपपुर, होशंगाबाद, मण्डला, सीहोर, खण्डवा, रायसेन, हरदा, देवास, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर जिलों के कलेक्टरों को नोटिस भेजा था.

> कार्यवाही नहीं होने से इन 15 जिलों के कलेक्टरों को अनावेदक बनाया गया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक जैन ने एनजीटी के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि एनजीटी स्वयं उक्त कार्यवाही की मॉनिटरिंग करे या विकल्प के रूप में जिला न्यायालयों को कार्यवाही के संबंध में मामले सौंपे. एनजीटी एक्ट की धारा 26 तथा 28 का हवाला देते हुए मामले में अनावेदकों के खिलाफ पेनाल्टी लगाये जाने की राहत चाही गई है.

रिहायशी मकान से 249 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद

मंदसौर. कलेक्टर अदिति गर्ग के निर्देश पर तथा जिला आबकारी अधिकारी बद्रीलाल दांगी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अफजलपुर में एक रिहायशी मकान से भारी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त की गई है.

जानकारी के अनुसार, आबकारी उप निरीक्षक कर्मेन्द्र सावले (वृत्त मंदसौर) के नेतृत्व में अफजलपुर क्षेत्र में स्थित एक रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई. इस दौरान 23 पेटियों में रखी हुई देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कुल 249 बल्क लीटर मात्रा बरामद की गई. जब्त की गई मदिरा एवं वाहन का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 87,000 रुपये आँका गया है. कार्रवाई के दौरान आरोपी नैनसिंह पिता ओंकारसिंह गुर्जर निवासी ग्राम गुदीयाना को गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- ग्राउंड फ्लोर, जी.के. टॉवर, मेन रोड, गोपाल गंज, सागर-470001 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	सांकेतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
1. श्री शुभम पटैरिया 2. श्रीमती हरगोविन्द पटैरिया 3. श्रीमती प्रभा बाई 4. शुभम किराना (प्रॉप्सेक्ट नं. आईएल 10389686)	11 दिसम्बर 2024 रु. 582855/- (रु. पांच लाख बयासी हजार आठ सौ पचपन मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	पटवारी हल्का संख्या 88, खसरा संख्या 1153, ग्राम साईखेड़ा, सागर, मध्य प्रदेश, भारत, 470004 में स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल. संपत्ति क्षेत्रफल- 900.00, 720.00, 576.00 (क्षेत्रफल 300 वर्गफुट)	12 मई 2025 कुल बकाया राशि 6 जुलाई 2025 को रु. 6,71,316/- (रु. छह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ सोलह मात्र)	रु. 4,34,000/- (रु. चार लाख चौंतीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 43,400/- (रु. तिरतालीस हजार चार सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक 18 अगस्त 2025 11.00-14.00 बजे | **ईएमडी की अंतिम दिनांक** 20 अगस्त 2025 के 5.00 बजे तक | **ई-नीलामी दिनांक/समय** 22 अगस्त 2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.iflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.
महत्वपूर्ण जानकारी- यह नीलामी SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जे के आधार पर प्रकाशित की गई है. SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 14 के आदेश प्राप्त होने के बाद भौतिक कब्जा दिया जाएगा और जब भी भौतिक कब्जा लिया जाएगा। बोलीदाता नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पहले दस्तावेजों और वैधता के संबंध में आवश्यक परिश्रम करेगा

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.
स्थान- सागर, दिनांक- 16-7-2025 | **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

कार्य दक्षता | ऑनलाइन समन और वारंट की तामीली में अच्छा काम

छिंदवाड़ा पुलिस मध्यप्रदेश में द्वितीय स्थान पर

छिंदवाड़ा. ऑनलाईन समन और वारंट की तामीली करने में छिंदवाड़ा पुलिस को प्रदेश भर में द्वितिय स्थान मिला है. पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डे के दिशा-निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के द्वारा सतत मानीटरिंग की गई जिसमें माह जून-2025 में जिलें में कुल 773 समन और वारण्ट प्राप्त हुयें.

जिसमें 772 समन/वारण्ट की तामीली समयावधि पर कराई गई, जिससे तामीली का प्रतिशत 99.87 प्रतिशत रहा, जो ऑनलाईन समन ,वारंट की तामीली मे प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा.

मध्यप्रदेश में न्याय व्यवस्था में तेजी लाने के प्रयास जारी हैं. इसी क्रम में वारंट और समन तामील करवाने का काम अब डिजिटली हुआ है, अब मध्यप्रदेश में वारंट व समन ई-मेल, वाट्सएप और मैसेज के जरिए संबंधित व्यक्ति तक भेजे जा रहे है. हाईटेक होते जा रहे जमाने में अब हर काम को सरल बनाने के लिए सरकार व प्रशासन भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है. इसके तहत अब संबंधित लोगों तक वॉट्सएप, ई-मेल के जरिए समन और वारंट भेजे जा रहे है. इस व्यवस्था के अनुसार अदालतें अब अपने सॉफ्टवेयर पर वारंट और समन अपलोड कर रही है. अपलोड होते ही ये दस्तावेज पुलिस के सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध होने पर ऑनलाइन के माध्यम से समन और वारंट को तामील किये जा रहे है.

न्याय प्रक्रिया होगी आसान

अभी तक समन व वारंट तामील कराने की प्रक्रिया जटिल थी. जिससे तामीली में काफी समय भी लगता था. लेकिन सारा काम ऑनलाइन होने से अदालतों का काम भी आसान होगा और पुलिस का भी. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के लिए ये प्रक्रिया सरल होगी. नए नियमों के लागू होने से अदालत के फैसले जल्दी हो सकेंगे और तामील न होने की शिकायतें भी कम होंगी.